Bill No. 19 of 2015

THE MINISTERS OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

Further to amend the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Sixth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement. – (1) This Act may be called the Ministers of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3. – In the Ministers of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances.) Act, 1994, (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 3, -

(a) In sub-section (1), for the words "twenty thousand rupees", the word "eighty thousand rupees" shall be substituted;

(b) Insertion of new sub-section (1) (a), "(a) The salary of Ministers shall be rupees eighty thousand initially and shall be raised by rupees eight thousand every twelve months for their term as Ministers:

Provided a Minister who is appointed to the position at a later date shall draw a salary equal to the salary drawn by the Ministers who were appointed at the time of constitution of new Government immediately after the general elections to that Assembly."

(c) In sub-section (2), for the words "one thousand rupees", the words, "two thousand rupees" shall be substituted;

(d) In sub-section (3), for the words "eighteen thousand rupees", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted;

(e) In sub-section (4), for the words "fifty thousand rupees" the words "three lakh rupees" shall be substituted and the words "within India" shall be omitted.

(f) Insertion of sub-section (5), "(5) There shall be paid to each Minister rupees twenty five thousand per month as "MLA's Constituency Office rental and related utilities allowance;

provided that the allowance shall not be paid to Ministers operating from office space provided by public agencies or from their own residences";

(g) Insertion of sub-section (6), "(6) There shall be paid to each Minister a sum of rupees one lakh as one time allowance for furnishing their MLA's Constituency Office for each term of office as a member of the Legislative Assembly";

(h) Insertion of sub-section (7), "(7) There shall be paid to each Minister a sum of rupees sixty thousand as one time allowance for buying equipment for his MLA's Constituency Office for each term of office as a Member of the Legislative Assembly";

(i) Insertion of sub-section (8), "(8) There shall be paid to each Minister a sum of rupees one lakh as one time allowance for purchase of laptop, personal computer, printer, mobile handset etc. for each term of office as a member of the Legislative Assembly";

(j) Insertion of sub-section (9), "(9) There shall be paid to each Minister a sum of rupees ten thousand per month as communication allowance";

(k) Insertion of sub-section (10), "(10) A Minister shall be reimbursed upto a sum of thirty thousand rupees each per month towards salary for his personal secretarial staff in his MLA's Constituency Office, subject to a maximum of four staff personnel, on production of receipt of payment through cheque or electronic clearance from the staff so employed."

(l) Insertion of sub-section (11), "(11) Notwithstanding the provisions of sub-section (9) of section 3, telephone facilities shall be provided at the office and the residence of Ministers as may be required subject to a ceiling of thirty thousand rupees per month."

3. Amendment of section 4. – In the principal Act, in section 4 for the words "four thousand rupees", the words "twenty thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of sub-section (4) of section 6. **–** In the principal Act in sub-section (4) of section 6, for the words "one thousand rupees" the words "thirty thousand rupees" shall be substituted.

5. Substitution of section 9. – In the principal Act, section 9 shall be substituted with the following, "9. **Conveyance advance. –** (1) A Minister shall be entitled to a conveyance advance up to twelve lakh rupees for the purchase of conveyance which shall be repayable within his term as a member of the Legislative Assembly.

(2) The rate of interest for the advance referred to in sub-section (1) and the mode of recovery and interest thereon shall be such as may be prescribed by the Government, with the prior approval of the President."

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

For some time past, there has been persistent demand from the MLAs for the increase in their salaries and perks/ facilities having regard to the increase in the price index. It has also been pointed out that salaries/perks/facilities of Ministers/ Speaker/ Deputy Speaker/ Leader of Opposition/ Chief Whip are a bit inadequate which should be upgraded and enhanced to a commensurate extent.

Considering the exigency of demand, the Speaker of Delhi Legislative Assembly appointed a Committee of Experts on 20.08.2015 to undertake a comprehensive study of the structure of salaries and allowances of Members of Legislative Assembly of Delhi and to recommended revision of salary allowances and other facilities for the Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi. The Expert Committee after deliberating on the issues has made its recommendations for increasing the Salaries and allowances etc. of Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

For the purpose, the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) (Amendment) Bill, 2015, has been initiated to amend the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 1994. The Bill proposes to increase the salaries, allowances & other facilities of the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi, so as to facilitate them to work effectively.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MANISH SISODIA)
Deputy Chief/Minister/Minister(Law)
December 2,2015

FINANCIAL MEMORANDUM

For the implementation of the proposals contained in the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2015, there will be an additional annual recurring expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2015 does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 में संशोधन के लिये विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .—** (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से उपराज्यपाल द्वारा यथानिश्चित तिथि को प्रभावी होगा।

2. **धारा 3 का संशोधन :—** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में —

(क) उपधारा (1) में ''बीस हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''अस्सी हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) नयी धारा (1)(क) का सन्निवेशन, ''(क) मंत्रियों का वेतन प्रारंभ में अस्सी हजार रुपये होगा तथा विधानसभा की प्रत्येक कार्यावधि के दौरान प्रत्येक बारह महीनों में आठ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी:

उपबंध है कि ऐसा मंत्री जिसे बाद में उस पद पर नियुक्त किया गया है उसे भी उसी मंत्री के समान वेतन मिलेगा जो विधानसभा के सामान्य चुनावों के तुरन्त पश्चात् गठित नयी सरकार के समय नियुक्त मंत्री को प्राप्त होगा।''

(ग) उपधारा (2) में ''एक हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(घ) उपधारा (3) में ''अठारह हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ङ) उपधारा (4) में ''पचास हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''तीन लाख रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा ''भारत के भीतर'' शब्दों को हटाया जायेगा;

(ज) उपधारा (5) का सन्निवेशन, ''(5) प्रत्येक मंत्री को विधायक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय के किराये तथा संबंधित सुविधा भत्ता के रूप में पच्चीस हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे'';

उपबंध है कि यह भत्ता उन मंत्रियों को नहीं दिया जायेगा जो सरकारी विभागों द्वारा आवंटित कार्यालय स्थानों या अपने आवास से कार्य कर रहे हैं।;

(छ) उपधारा (6) का सन्निवेशन ''(6) प्रत्येक मंत्री को विधायक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में प्रत्येक कार्यावधि के लिये फर्निशिंग हेतु एक मुश्त भत्ते के रूप में एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी'';

(च) उपधारा (7) का सन्निवेशन ''(7) प्रत्येक मंत्री को विधायक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में प्रत्येक कार्यावधि के लिये उपकरणों के लिये एक मुश्त भत्ते के रूप में साठ हजार रुपये की राशि दी जायेगी'';

(झ) उपधारा (8) का सन्निवेशन ''(8) प्रत्येक मंत्री को विधायक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में प्रत्येक कार्यावधि के लिये लेपटॉप, पर्सनल कम्प्यूटर, प्रिन्टर, मोबाइल, हैंडसैट आदि की खरीद के लिये एक मुश्त भत्ते के रूप में एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी'';

(ण) उपधारा (9) का सन्निवेश ''(9) प्रत्येक मंत्री को सम्प्रेषण भत्ते के रूप में दस हजार रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे;

(ट) उपधारा (10) का सन्निवेश ''(10) एक मंत्री को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में अपने व्यक्तिगत सचिवालय कर्मचारी के वेतन के लिये प्रतिमाह तीस हजार रुपये वेतन के रूप में कर्मचारी द्वारा चैक द्वारा भुगतान की रसीद देने पर या इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस प्रस्तुत करने पर दिया जायेगी। शर्त है कि अधिकतम व्यक्तिगत कर्मचारी चार तक होंगे।''

(ठ) उपधारा (11) का सन्निवेश ''(11) धारा 3 की उपधारा (9) के प्रावधानों के होते हुए भी मंत्री के कार्यालय तथा आवास पर यथापेक्षित टेलिफोन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। सुविधाओं की सीमा तीस हजार रुपये प्रतिमाह तक होंगी।''

3. **धारा 4 में संशोधन .**– मूल अधिनियम की धारा 4 में ''चार हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

4. **धारा 6 की उपधारा (4) में संशोधन .**– मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) में ''एक हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''तीस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. **धारा 9 का प्रतिस्थापन.**– मूल अधिनियम की धारा 9 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, **''9 वाहन अग्रिम राशि.**– (1) प्रत्येक मंत्री वाहन की खरीद के लिये बारह लाख रुपये तक वाहन अग्रिम राशि का पात्र होगा जिसका विधानसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल के दौरान पुनर्भुगतान करना होगा।

(2) उपधारा (1) में संदर्भित अग्रिम राशि के ब्याज की दर तथा वसूली पद्धति तथा उस पर ब्याज सरकार द्वारा राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से सरकार द्वारा निर्धारित रूप में होंगे।

उद्देश्य एवं कारणों का विवरण

पिछले कुछ समय से मूल्य सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए विधायकों द्वारा उनके वेतन एवं अनुलाभ/सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है। यह भी संकेत किया गया है कि मंत्रियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक के वेतन/अनुलाभ/सुविधाओं में अपर्याप्तता है जिसे बढ़ाकर एक समान सीमा तक किया जाना चाहिए।

मांग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की संरचना का व्यापक अध्ययन करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों के लिये वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के संशोधन की सिफारिश के लिये दिनांक 20.8.2015 को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञ समिति ने विषयों पर गहन विचार–विमर्श के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों आदि में वृद्धि की संस्तुति की है।

इस प्रयोजन के लिये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 में संशोधन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रारंभ किया गया है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का प्रस्ताव है, जिससे उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सुविधा हो।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

(मनीष सिसोदिया)
उप–मुख्यमंत्री/मंत्री (न्याय)
02 दिसम्बर, 2015

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 किसी अधीनस्थ अधिकारी को विधायी शक्ति प्रदत्त नहीं करता है।

वित्तीय ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 में निहित प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय की आवश्यकता होगी।